कार्थी @ कारथिक

बनाम

राज्य जरिये, पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु

(आपराधिक अपील संख्या 601/2008)

1 जुलाई, 2013

[पी. सतशिवम और जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860- धाराएं 376 और 417- शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध के लिए धोखे से पीडब्ल्यू 1 की सहमति प्राप्त करने के लिए आरोपी-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि- सपष्टीकरण- अभिनिर्धारित किया गया कि- अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू 1 से शादी करने का वादा करके उसके साथ धोखा किया- प्रथम बार उसने पीडब्ल्यू 1 के साथ जबरदस्ती पूर्वक यौन संबंध बनाए और फिर उसे यह आश्वासन देकर कि वह उससे शादी करेगा के आधार पर इस घटना के बारे में किसी को न बताने को कहा- इसके बाद पीडब्ल्यू 1 के साथ अपीलकर्ता द्वारा उससे शादी करने का वादा देकर उससे सहमति प्राप्त कर बार बार यौन संबंध बनाए, उसके इस कृत्य के द्वारा पीडब्ल्यू 1 को सक्रिय रूप से धोखा दिया गया- छल करके सहमति प्राप्त करना, किसी आरोपी को बरी करने के लिए वैध बचाव नहीं हो सकता है- जब तक शादी करने का वचन कायम हो तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के बीच संबंधों को धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है- स्थितियों में उस वक्त परिवर्तन आया जब अपीलकर्ता अभियोक्त्री से शादी करने से इन्कार कर दिया- वचनों के तहत स्थापित संबंध के मुकरने के पश्चात् पीडब्ल्यू 1 ने बिना किसी देरी के पूरी घटना को अपने निकटतम परिवार सदस्यों को अवगत कराया- बिना किसी देरी के, पीडब्ल्यू 1 के भाई और पिता ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया- गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत

आयोजित करके अपीलकर्ता को बुलाया और मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए सभी प्रयास किये किन्तु अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू 1 से शादी करने से इन्कार कर दिया- इसके बाद, बिना किसी देरी के, पीडब्ल्यू 1 ने पुलिस को घटना की सूचना दी- केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत करने के आधार पर अभियोजन पक्ष के संस्करण में कोई संदेह कारित नहीं हुआ है।

आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप इस आधार पर लगाया गया था कि उसने पीडब्ल्यू 1 को धोखा दिया; पहली बार में उसने जब पीडब्ल्यू 1 अपने घर में बिल्कुल अकेली थी तब उसने अपने दाहिने हाथ से उसका मुंह दबाकर मुंह बंद कर दिया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए, और फिर उसे यह आश्वासन देकर कि वह उससे शादी करेगा के आधार पर इस घटना के बारे में किसी को न बताने को कहा और उससे शादी करने के वादे के आधार पर 6 महीने से अधिक समय तक पीडब्ल्यू 1 के साथ बार-बार संभोग कर उसे धोखा दिया।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 417 के तहत दोषी ठहराया। अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गयी थी, जिस कारण से यह अपील प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि:

1.1. बयानों के तीन समूहों में से पहले समूह में अभियोक्त्री (पीडब्ल्यू 1), उसका भाई (पीडब्ल्यू 2) और उसके पिता (पीडब्ल्यू 4) के बयानों को गांव के बुजुर्गों अर्थात् पीडब्ल्यू 5, 6, 7 और 8 के बयानों के साथ पढकर, अपीलकर्ता के दो दोस्तों पीडब्ल्यू 9 और 10 के बयानों के साथ में विवेचन पश्चात् इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि अपीलकर्ता ने प्रथम बार में पीडब्ल्यू 1 के साथ अनिच्छा से यौन संबंध बनाए थे। उसने उसके शारीरिक हरकतों से बचने के लिए व उनका विरोध करते हुए यह कहा था

कि यह सब केवल शादी के पश्चात् ही संभव है। जिसके पश्चात् भी, उसने अपने दाहिने हाथ से उसका मुंह बंद कर जबरदस्ती की। अभियोक्त्री जब अपने घर में अकेली थी तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात् उसे शादी करने का वादा करके उपरोक्त घटना का वर्णन किसी से न करने के लिए कहा। [पैरा 12] [1020-एफ-एच; 1021-ए-बी]

1.2 पीडब्ल्यू 1 अपने बयानों में यह पुष्टि की है कि उसके घर पर उसके साथ पहली बार संभोग के समय, अपीलकर्ता ने दाये हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर उससे शादी करने का वादा किया था। बाद के कृत्य जिनके तहत बार बार शारीरिक संभोग जो कि उससे शादी करने के वादे के तहत किये गये थे, उसे सक्रिय रूप से धोखा देने का कृत्य था। मुरूगन मंदिर में घटित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में अपीलकर्ता ने पहली बार पीडब्ल्यू 1 को यह बताया कि वह उससे शादी नहीं करेगा। अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा करके पीडब्ल्यू 1 के साथा धोखा किया। उक्त धोखे के बल पर उसने प्रथमतः उसे घटना के बारे में किसी को न बताने को राजी किया और उसके बाद बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अतः इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता अपीलकर्ता के द्वारा पीडब्ल्यू 1 के साथ शारीरिक संबंध सहमति से बनाए गए थे। छल करके सहमति प्राप्त करना, किसी आरोपी को बरी करने का वैध बचाव नहीं हो सकता। [पैरा 14] [1024-बी-जी]

1.3. जब तक विवाह की प्रतिबद्धिता कायम थी तब तक दोनों पक्षों के बीच के संबंधो को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा पीडब्ल्यू 1 से शादी करने से इनकार करने के बाद ही, शारीरिक संबंध में एक अलग आयाम जुडा, जो पिछले छह महीनों से वैध रूप से जारी था। चीजें तब बदल गईं जब अपीलकर्ता ने शादी से इनकार कर दिया। वादे के

तहत संबंध स्थापित करने से इनकार करने के बाद, पीडब्ल्यू 1 ने बिना किसी देरी के अपने तत्काल परिवार को पूरे प्रकरण का खुलासा किया। बिना किसी देरी के, पीडब्ल्यू के भाई और पिता ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत बुलाकर अपीलकर्ता को बुलाया। गांव के बुजुर्गों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हरसंभव प्रयास किया। अपीलकर्ता द्वारा पीडब्ल्यू 1 से शादी करने से इनकार करने पर ही आपराधिक शिकायत करने का सवाल उठता है। पंचायत की बैठकों के बाद, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा पीडब्ल्यू 1 से शादी करने से इंकार किया गया था, बिना किसी देरी के पीडब्ल्यू 1 ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। प्रकरण के उपरोक्त वर्णित विशिष्ठ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाने के आधार पर अभियोजन पक्ष के संस्करण में कोई संदेह पैदा नहीं हुआ है। [पैरा 17] [1026-एफ-एच; 1027-ए-डी]

उदय बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 4 एससीसी 46: 2003 (2) एससीआर 231 और जिंदर अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2009) 3 एससीसी 761: 2009 (1) एससीआर 968 - संदर्भित।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत:

2009 (1) एससीआर 968	संदर्भित	पैरा 13
2003 (2) एससीआर 231	संदर्भित	पैरा 13

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 601/ 2008।

मद्रास उच्च न्यायालय, बेंच मदुराई के 2005 के आपराधिक पुनरीक्षण मामला की संख्या 439 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.12.2006 से।

आर. बालासुब्रमण्यन, के.वी. विजयकुमार, टी.आर.बी. शिव कुमार अपीलार्थी की ओर से।

ए. योगेश कन्ना, ए. संथा कुमारन, बी. बालाजी प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय जगदीश सिंह खेहर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता, कार्थी उर्फ कार्तिक को सहायक सत्र न्यायाधीश, विरुधुनगर द्वारा 2004 के सत्र मामला संख्या 119 में दिनांक 30.11.2004 के एक आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 417 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उपरोक्त दोषसिद्धि की पुष्टि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), विरुधुनगर द्वारा, 2005 की आपराधिक अपील संख्या 2 में, दिनांक 1.6.2005 के एक आदेश द्वारा की गई थी। अपीलकर्ता की पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक पुनरीक्षण मामला संख्या 439/2005) को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने 18.12.2006 को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का विरोध करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष् उपस्थित हुआ।

2. इस विवाद में आरोप, सबसे पहले, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) द्वारा लगाया गया था। घटना के समय उसकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच थी। वह तब अचमपट्टी की रहने वाली थीं। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने आरोपी बताया था। घटना के समय आरोपी अपीलकर्ता की उम्र 20 वर्ष से अधिक थी। वह भी अचमपट्टी का रहने वाला था। अभियुक्त-अपीलकर्ता कार्तिक, अभियोक्त्री पूमारी (अभियोक्ता का पूमारी (पीडब्ल्यू 1)) का पड़ोसी होने के अलावा, अभियोक्त्री की ही जाति से था।

3. इस मामले के रिकॉर्ड से उदभुत होने वाली तथ्यात्मक स्थिति से, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। इसलिए, प्रासंगिक समय पर, वह अपने भाई मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और भाभी

पिचुमणि (पीडब्लू 3), (मणिकन्नन की पत्नी, पीडब्लू 2) के परिवार के साथ रह रही थी। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) के पिता, मुथुकरुप्पा थेवर (पीडब्लू 4) उस वक्त उसी घर में रहते थे।

4. कार्तिक के ख़िलाफ़ आरोप, 10.10.2003 को लगाया गया था। घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई, कथित तौर पर उससे छह महीने पहले शुरू हुई थी। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) के बयान के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक आम तौर पर उसे छेड़ता था। वह उससे शादी करने के लिए भी कहता था। घटना की पहली तारीख को, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) घर में अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य मंदिर गए हुए थे। आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक उसे अकेला पाकर उसके घर में घुस गया। उस समय, वह कथित तौर पर सो रही थी। आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने कथित तौर पर अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से अनुरोध किया था कि वह उसे उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दे। अभियोक्त्री ने कथित तौर पर सहमति देने से इनकार कर दिया। अभियोक्त्री का दावा है कि उसने अपीलकर्ता को बताया था कि संभोग केवल शादी के बाद ही किया जा सकता है। फिर भी, उसने अपने दाहिने हाथ से उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने कथित तौर पर अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से वादा किया कि वह उससे शादी करेगा। उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के पश्चात, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने उसे शोर मचाने से रोकने के लिए कथित तौर पर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने उससे घटना के बारे में किसी को न बताने को कहा, यह आश्वासन देते हुए कि वह उससे शादी करेगा। उसने कथित तौर पर अभियोक्त्री के सिर पर हाथ रखकर उससे शादी का वादा किया था। अभियुक्त-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा किए गए वादे पर विश्वास करते हुए, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने पहली घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।

5. पहली घटना के बाद, स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक और अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) बार-बार अलग-अलग स्थानों पर सहमति से यौन संबंध बनाए गए थे। अभियोक्त्री के अनुसार, संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक वादा करता रहा कि वह उससे शादी करेगा।

6. 5.10.2003 को, अभियोक्त्री पूमारी आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के साथ में मुरुगन मंदिर, करियापट्टी गई थी। मंदिर में, उसने फिर से उससे शादी करने के लिए कार्तिक से अनुरोध किया। हालाँकि, कार्तिक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इनकार करने के पश्चात, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने कथित तौर पर अपने भाई मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और परिवार के अन्य सदस्यों को पूरी तथ्यात्मक स्थिति को बताया। मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और उसके पिता मुथुकरुप्पा थेवर (पीडब्लू 4) ने गांव के बुजुर्गों के माध्यम से मामले को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने वीराचामी (पीडब्लू 5), रामासामी (पीडब्लू 6), अय्यावू (पीडब्लू 7) और नागेश (पीडब्लू 8) सहित कई गांव के बुजुर्गों को बताया अभियोक्त्री पूमारी और आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के बीच संबंधों के बारे में।

7. गांव के बुजुर्गों ने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को पंचायत के लिए बुलाया। विवाद को निपटाने के लिए पंचायत हुई। पंचायत ने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को अभियोक्त्री पूमारी से शादी करने के लिए मनाने का प्रयास किया। हालाँकि, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा अभियोक्त्री से शादी करने से इनकार करने पर, गांव के बुजुर्गों ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) ने 10.10.2003 को सबह 8.00 बजे पुलिस निरीक्षक करियापट्टी के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई।

8. आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने 5.11.2003 को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या II, विरुधुनगर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

9. अनुसंधान पूरी होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या II, विरुधुनगर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि आरोपी अपीलकर्ता कार्तिक के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों से संबंधित थे, इसलिए मामला श्रीविलीपूतूर में स्थित प्रधान जिला और सत्र न्यायालय, विरुधुनगर को सुपुर्द किया गया था। सुपुर्द करने के पश्चात, 2004 का सत्र मामला संख्या 119 को सुनवाई के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश, विरुधुनगर के समक्ष रखा गया था।

10. अन्वेषण के दौरान, अभियोजन द्वारा 16 गवाहों का परीक्षित करवाया गया, और 12 प्रदर्शों मामले के रिकॉर्ड पर लाये गये। तत्पश्चात आरोपी- अपीलकर्ता कार्तिक का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत लेखबद्ध किये गये। आरोपी अपीलकर्ता द्वारा अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

11. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सहायता से, हमने उन निर्णयों का अध्ययन किया है, जिनके विरूद्ध आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने यह अपील प्रस्तुत की। हमें कुछ गवाहों के बयानों से भी अवगत करवाया गया, विशेष रूप से अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) और डॉ. केपी संथाकुमारी (पीडब्लू 14) जो कि, वह डॉक्टर जिसने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) का चिकित्सीय परीक्षण किया था। इसलिए, विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री की ओर से दर्ज किए गए सबूतों के योग और सार को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है।

(i) अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने अपनी शिकायत दिनांक 10.10.2003 में दर्ज की गई तथ्यात्मक स्थिति को पूर्ण रूप से दोहरान किया गया। अभियोक्त्री पूमारी

(पीडब्लू 1) के बयान का उसके भाई मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और उसके पिता मुथुकरुप्पा (पीडब्लू 4) ने पूर्ण रूप से ताईद की। लम्बी जिरह के बावजूद उपरोक्त गवाहों की गवाही में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ है।

(ii) आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के आरोप से जुड़े एक सहायक मुद्दे पर, अभियोजन ने अलागापुरी गांव के चार बुजुर्गों, वीराचामी (पीडब्लू 5), रामासामी (पीडब्लू 6), अय्यावू (पीडब्लू 7) और नागेश (पीडब्लू 8) से परीक्षण किया। उपरोक्त सभी गवाहों ने एक पंचायत बुलाने की बात दोहराते हुए अभियोक्त्री का समर्थन किया, जहां आरोपी अपीलकर्ता कार्तिक को बुलाया गया था। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से शादी करने से इनकार कर कर दिया था, जब वह उनके सामने पेश हुआ था। मामले का तात्कालिक पहलू एक दिलचस्प निष्कर्ष दिलचस्प निष्कर्ष की ओर ले जाता है, अर्थात्, गाँव के बुजुर्ग आश्वस्त थे, कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) और आरोपी- अपीलकर्ता कार्तिक के बीच संबंधों को देखते हुए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और इसलिए, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को पंचायत द्वारा अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से हुए, शादी करने के लिए कहा गया था। लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, अन्यथा, पंचायत द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने के लिए कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चूंकि आरोपी- अपीलकर्ता कार्तिक गांव के बुजुर्गों के प्रस्ताव से सहमत नहीं था, इसलिए उन्होंने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) को पुलिस में शिकायत करने की सिफारिश की। वीराचामी (पीडब्लू 5), रामासामी (पीडब्लू 6), अय्यावू (पीडब्लू 7) या नागेश (पीडब्लू 8) के बयानों में कुछ भी विरोधाभास या असंगतता नहीं है। सुनवाई के दौरान किसी का भी चिन्हित नहीं किया गया। इस प्रकार, देखा जाए तो, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पंचायत के आयोजन के दौरान की गई कार्यवाही इस मामले के तथ्यों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य होगी।

(iii) प्रासंगिक गवाहों का एक और समूह भी है। ये गवाह अर्थात् चंद्रन (पीडब्लू 9) और इलंगोवन (पीडब्लू 10) कथित तौर पर आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक, के दोस्त हैं। चंद्रन (पीडब्लू 9) ने गवाही दी कि उसने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) और आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को मुरुगन मंदिर में देखा था। अभियोक्त्री पूमारी (और आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक) मंदिर में मुलाकात से पहले, अभियोक्त्री ने चंद्रन (पीडब्लू 9) को बताया था कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक, जिसने पहले उससे शादी करने का वादा किया था, ने अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है, इलंगोवन (पीडब्लू 10) का बयान भी इसी आशय का था। इलंगोवन (पीडब्लू 10) ने पुष्टि की कि उसने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक और अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) दोनों को काफी मौकों पर एक साथ देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि वह मुरुगन मंदिर में उनसे मिला था। मंदिर में, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने उसे बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। अपने बयान में, उसने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री पुमारी (पीडब्लू 1) ने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के साथ शारीरिक संबंध होने की भी जानकारी दी थी, जो कि आरोपी-अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री द्वारा शादी करने का वादा किये जाने के कारण बनाए गए थे। चंद्रन (पीडब्लू 9) और इलंगोवन (पीडब्लू 10) दोनों ने अपनी जिरह के दौरान उन्हें दिए गए सुझाव से इनकार किया था कि वे झूठी गवाही दे रहे थे। चंद्रन (पीडब्लू9) और इलंगोवन (पीडब्लू 10) के बयान, जो आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के दोस्त हैं, उल्लेखित होता है, कि वे अभियोक्त्री पूमारी और कार्तिक के बीच संबंधों के बारे में जानते थे, और आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक मुरुगन मंदिर में अभियोक्त्री पुमारी (पीडब्लू1) शादी करने के उसके वादे से मुकर गया था।

12. बयानों के तीन समूह, सबसे पहले समूह जो अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1), उसका भाई मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और उसके पिता मुथुकरुप्पा थेवर (पीडब्लू 4),

सपठित गांव के बुजुर्गों के बयान, वीराचामी (पीडब्लू 5), रामासामी (पीडब्लू 6), अय्यावू (पीडब्लू 7) और नागेश (पीडब्लू 8) के बयानों को आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के दो दोस्तों चंद्रन (पीडब्लू 9) और इलंगोवन (पीडब्लू 10) के बयानों के साथ परीक्षण किया गया, तो इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने पहली बार अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) के साथ जबरदस्तीपूर्वक यौन संबंध बनाए थे। अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी के प्रयासों का यह कहते हुए भी विरोध किया गया था कि यह केवल शादी के पश्चात ही किया जा सकता है। जिसके बावजूद उसने अपने दाहिने हाथ से उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती की। अभियोक्त्री पूमारी के साथ यौन संबंध बनाने के बाद, जब वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा जिस कारण वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। उसने उसके सिर पर हाथ रखकर उससे शादी करने का वादा भी किया। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू1) और आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के बीच संबंध अभियोक्त्री के परिवार के बुजुर्गों की परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद परिवार के बुजुर्गों ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का अनुरोध किया। गांव के बुजुर्गों के कहने के बावजूद, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू1) से शादी करने से इनकार कर दिया। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू1) के संस्करण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि चंद्रन (पीडब्लू 9) और इलांगोवन (पीडब्लू 10) के बयानों से भी होती है, जिन्होंने मुरुगन मंदिर में हुई घटना के संबंध में गवाही दी थी, जिसके दौरान आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने पहली बार अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने से इनकार कर दिया। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में, हम आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक के प्रस्तुतियाँ को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

13. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उदय बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 4 एससीसी 46 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया:

> "21. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक राय की सर्वसम्मति इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि अभियोक्त्री जिस व्यक्ति के साथ गहराई से प्यार करती है उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए अभियोक्त्री सहमत थी जब शादी करने के वादे के आधार पर दिए गए हो तो यह तथ्यों की गलतफहमी के आधार पर दिए गए हो, कहा जा सकता है। संहिता के अर्थ के अंतर्गत झूठा वादा कोई तथ्य नहीं है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, लेकिन हम यह जोड़ना चाहते हैं कि क्या अभियोक्त्री द्वारा संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है, या यह किसी तथ्य की गलतफहमी के तहत दी गई है, निर्धारित करने के लिए स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। अंतिम विश्लेषण इस प्रकार है कि, न्यायालयों द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत न्यायालय की सहमति के प्रश्न पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, किंतु न्यायालय को किसी निष्कर्ष् पर पहुंचने से पहले के प्रकरण के सबूतों व उस प्रकरण की परिस्थितियों को भी मध्यनजर रखना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जो इस सवाल पर असर डाल सकते हैं कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी, या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबूतों को भी तौलना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक घटक को साबित करने का भार अभियोक्त्री पर है, सहमति का अभाव उनमें से एक है।"

उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जिंदर अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2009) 3 एससीसी 761 में दिए गए फैसले को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त निर्णय को निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कियाः

> "14. इस गवाह से कोई प्रभावी जिरह नहीं की गई है। एक प्रश्न उसकी नैदानिक और शारीरिक जांच के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले यह सुझाव दिया गया कि उसके निजी अंगों और शरीर पर चोटें आई थीं। हालाँकि, गवाह ने कहा कि खून बहने वाली कोई चोट नहीं थी, इसका मतलब यह है कि चोटें महत्वहीन थीं, थीं यह देखते हुए कि लगभग 6 महीने के बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी। ऐसी स्वीकारोक्ति निरर्थक है। हालाँकि, बलात्कार के संबंध में उसके बयानों को चुनौती प्रदान नहीं दी गई थी। उससे कार्यस्थल और वहां मौजूद लड़कों के बारे में पूछा गया था, हालांकि, लड़कों को न बताना केवल एक स्वाभाविक व्यवहार होगा और हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि उसने संभोग के लिए सहमति दी थी। बेचारी लड़की के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। आरोपी के साथ किसी प्रेम-प्रसंग बाबत भी कोई सुझाव नहीं दिया गया था। उसके स्वयं के बलात्कार बाबत किए गए कथनों को किसी प्रकार की चुनौती प्राप्त नहीं हुई। उसका यह कहना कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करने से पूर्व उसे जबरन पकड़ा था और उसके मुंह में रूमाल डाला था, अधूरा व बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, लेकिन यह उसके साथ हुए बलात्कार बाबत दिए गए कथनों को खारिज नहीं करता है।

15. पीडब्लू-2, मोशर एसके, ने अपने बयानों में चांदमोनी और उसके पिता के द्वारा उसे आरोपी द्वारा चांदमोनी के साथ किए गए बलात्कार को बताया, यह उल्लेखित किया। उसने गांव की बैठक के बारे में भी बताया था, जहां यह निर्णय लिया गया था कि आरोपी को चांदमोनी से शादी करनी चाहिए। फिर, इस गवाह से कोई जिरह नहीं होती। बेशक, इस गवाह ने कहा था कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि उससे पूछताछ नहीं की गई थी।

16. एक अन्य गवाह पीडब्लू-3 ताजेम एसके (मल्लिक) ने भी गांव की बैठक के बारे में बताया था कि, जो कि अभियोक्त्री के पिता मरकाम अली एसके के कहने पर आयोजित की गई थी। उसने भी यह दावा किया कि पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। इस गवाह की जिरह में ही यह बात सामने आई कि गांव की बैठक में करीब 200-250 लोग मौजूद थे, जहां यह निर्णय लिया गया कि आरोपी दोषी है।

उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्येक मामले में, जिसमें बलात्कार का आरोप इस आधार पर अधिरोपित किया गया हो कि संभोग के लिए सहमति धोखे से की गई है, ऐसा प्रत्येक मामले के प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हम उपरोक्त मापदंडों के आधार पर इस मुद्दे का निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्यात्मक दलील की गई थी कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) स्वयं ने आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने उसके साथ बनाए गए संभोग के संबंध में सहमति प्रदान की थी। बाद के चरण में ऐसा हो सकता है, फिर

भी हमारे लिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के हाथों उसके दोषमुक्ति के लिए दिए गए त्वरित निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) के बयान से जो तथ्य सामने आए हैं वह इस प्रकार है कि प्रथम बार संभोग से पहले भी आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक उसे छेड़ता था। वह उससे यह भी कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है। यह तथ्य कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) जब अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, तब उसने उसके साथ संभोग किया था, विवादित नहीं है। अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने अपने बयानों में पुष्टि की है कि उसके घर पर उसके साथ पहली बार संभोग के समय, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अपने दाहिने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। उसने उसकी लज्जा भंग करने के पश्चात उसके सिर पर हाथ रखकर उससे शादी करने का वादा किया था। बाद में बनाए गए शारीरिक संबंध जो कि शादी करने के वादे देने के आधार पर बनाए गए थे, अभियोक्त्री को सक्रिय रूप से धोखा देने का कृत्य था। मुरुगन मंदिर में घटित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में, पहली बार आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से कहा था कि वह उससे शादी नहीं करेगा। उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि चंद्रन (पीडब्लू 9) और इलंगोवन (पीडब्लू 10) द्वारा की गई है। लंबी जिरह के बावजूद, आरोपी- अपीलकर्ता अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) की गवाही में किसी प्रकार का विराेधाभास लाने में विफल रहा है। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुए नीचली अदालतों के समवर्ती निर्धारण की पुष्टि करते हैं, कि आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने का वादा करके उसके साथ धोखा किया। उक्त धोखे के बल पर पहले तो उसे प्रथम बार संभोग की घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए रजामंद किया और उसके बाद बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे लिए आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि

आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा अभियोक्त्री पूमारी के साथ संभोग, उसकी सहमति से बनाए गए थे। छल करके सहमति प्राप्त करना, किसी आरोपी को बरी करने का वैध बचाव नहीं हो सकता।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा तर्क यह था कि, आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से शादी करने बाबत किसी प्रकार का वादा नहीं किया था। हमारे द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम तर्क के निस्तारण बाबत दिए गए सभी कारणों के आधार पर, हमारे लिए यह तर्क भी स्वीकार करना संभव नहीं है। हालाँकि, पहले तर्क के निस्तारण के दौरान उल्लेखित तथ्यात्मक स्थिति के अलावा, और भी तथ्य को उल्लेखित करने की आवश्यकता है। यह गौर करने लायक है कि पहली बार जब अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) ने अपने परिवार को उसे दिए गए धोखे और शारीरिक संबंध के तथ्यों को बताया, तो यह मामला गांव के बुजुर्गों के समक्ष् ले जाया गया था। गांव के चार बुजुर्ग विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और अपने बयानों दर्ज करवाया। उनमें से प्रत्येक ने पुष्टि की, कि वे सभी आरोपी अपीलकर्ता कार्तिक ने अभियोकत्री से शारीरिक संबंध बनाने के कारण उससे शादी करने की आवश्यकता थी। उन सभी के अनुरोध को मानने से इनकार करने पर उनके सुझाव पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। उपरोक्त उल्लेखित घटना का तात्कालिक पहलू आपराधिक आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा अपने द्वारा दिए गए बयान 313, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत संस्करण को पूर्णतः ध्वस्त करता है। अपने उपरोक्त बयानों के दौरान उसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) और उसके परिवार वालों ने उस पर यह झूठा आरोप लगाकर उससे अच्छी खासी धनराशि हड़पना चाहा। वास्तविकता में वीराचामी (पीडब्लू 5), रामासामी (पीडब्लू 6), अय्यावू (पीडब्लू 7) और नागेश (पीडब्लू 8) के बयानों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) और

उसके भाई मणिकन्नन (पीडब्लू 2) और उसके पिता मुथुकरुप्पा थेवर (पीडब्लू 4) की मंशा यह थी कि वह उससे शादी कर ले। परिवार की इच्छा, कि आरोपी-अपीलकर्ता को अभियोक्त्री से शादी कर ले, इस आधार पर थी कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए गए थे जो कि अविवादित तथ्य है। इस प्रकार संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था। यह केवल एक बाद का विचार था। इसलिए, हमारे लिए अपीलकर्ता विद्वान अधिवक्ता की दलील, कि आरोपी अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से शादी करने का कोई वादा नहीं किया था, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया अंतिम तर्क यह था कि संभोग की पहली घटना पुलिस में शिकायत करने की तारीख 10-10-2003 से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क उठाया कि इसे बाद में विचार करके प्रस्तुत किया गया हो मानना चाहिए। यह इंगित किया गया, कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू1) द्वारा प्रकरण दर्ज करना आरोपी-अपीलकर्ता पर झूठा आरोप लगाकर और उसे नुकसान पहुंचाने की एक योजना से ज्यादा कुछ नहीं था। यह निवेदन किया गया कि शिकायत दर्ज करने में एक दिन की देरी के भी महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। यह भी बताया गया कि तत्काल मामले में देरी के कारण, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) की चिकित्सा जांच के आधार पर कोई भी सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला था। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रबल तर्क रहा है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने में देरी को अभियोजन की कहानी में संदेह की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के विवेचन पश्चात, हमारा मत इस प्रकार है कि अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) की ओर से किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई है। जब तक विवाह किए जाने का वादा कायम हो, तो ऐसी

स्थिति में, दोनों पक्षों के बीच के संबंधों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्ल्यू 1) से शादी करने से इनकार करने के बाद ही, शारीरिक संबंधों के बाबत एक अलग आयाम जुड़ा है, जो पिछले छह महीनों से वैध रूप से जारी था। स्थितियां तब बदल गईं जब आरोपी-अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री से शादी करने से इनकार कर दिया। शादी किए जाने बाबत किए गए वचनों से मुकरने के पश्चात, अभियोक्त्री ने बिना किसी देरी के अपने परिवार वालों को पूरे तत्काल प्रकरण का खुलासा किया। बिना किसी देरी के, पूमारी (पीडब्लू 1) के भाई और पिता ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत बुलाकर आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को बुलाया। गांव के बुजुर्गों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हरसंभव प्रयास किया। परिवार, जैसा कि ऐसे मामलों में हमेशा होता है, आरोपी-अपीलकर्ता को मामले को यथार्थवादी रूप से देखने के लिए राजी करके मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहता था। अभियुक्त-अपीलकर्ता कार्तिक द्वारा अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने से इनकार करने पर ही आपराधिक शिकायत करने का सवाल उठा। पंचायत की बैठकों के बाद, जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) से शादी करने से इनकार कर दिया, अभियोक्त्री पूमारी (पीडब्लू 1) ने बिना किसी देरी के 10.10.2003 को मामले की सूचना पुलिस को दी। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दृष्टिकोण बाबत, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है, कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में देरी के कारण, अभियोजन के संस्करण में कोई संदेह पैदा हुआ कहा जा सकता है।

18. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त वर्णित तर्कों के अन्य कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर, हमें इस अपील में किसी प्रकार की योग्यता नहीं मिलती। तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

19. आरोपी-अपीलकर्ता कार्तिक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.2008 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। सजा की शेष अवधि काटने के लिए अब उसे हिरासत में लिया जाएगा।

बी.बी.बी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिग्विजय देथा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।